[2019] 15 एस.सी.आर. 207

पुलिस महानिदेशक एवं अन्य

बनाम

एम. जयंती

(2019 की दीवानी अपील संख्या 9423)

13 दिसंबर, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ एवं हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवाओं के विशेष नियम – नियम 35 ए – उत्तरदाता, जो कि नवम बटालियन, मणिमुथार, पालयमकोट्टै में श्रेणी-2 पुलिस आरक्षक था, ने दिनांक 1 जून 2017 को त्यागपत्र प्रस्तुत किया – उक्त त्यागपत्र दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया – इसके पश्चात उत्तरदाता ने त्यागपत्र की वापसी का अनुरोध किया – उत्तरदाता का अभ्यावेदन पुलिस महानिदेशक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया – उक्त आदेश को चुनौती दी गई – रिट याचिका खारिज कर दी गई – खंडपीठ द्वारा रिट अपील स्वीकार की गई, यह कहते हुए कि वर्ष 2016 के अधिनियम की धारा 50 के अनुसार 90 दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है और अपीलकर्ता सूचना अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना त्यागपत्र स्वीकार करने में दोषी हैं –अभिनिर्धारित: नियम 35 ए के उपबंध वर्ष 2016 के अधिनियम की धारा 50 के समतुल्य हैं – उत्तरदाता, पुलिस आरक्षक होने के कारण, नियम 35 ए द्वारा शासित था – नियम 35 ए के खंड (क) के अनुसार, सेवा से त्यागपत्र देने से पूर्व, सेवा का सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम 3 माह की सूचना देगा – खंड (ख) के अंतर्गत, सूचना को उसकी स्वीकृति से पूर्व वापस लिया जा सकता है – त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात उसकी वापसी की अनुमति नहीं है –नियम 35 ए के खंड (ग) के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी, त्यागपत्र स्वीकार करते समय, वह तिथि निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम है, जिससे त्यागपत्र प्रभावी होगा, जो सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से आगे की नहीं होगी – अतः, प्राधिकारी विधिसम्मत रूप से सूचना अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी तिथि से त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है – वर्तमान मामले में, दिनांक 1 जून 2017 का त्यागपत्र दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार किया गया – इसके एक माह पश्चात ही, दिनांक 13 जुलाई 2017 को, उत्तरदाता ने त्यागपत्र की वापसी का प्रयास किया – त्यागपत्र

स्वीकृति के साथ प्रभावी हो जाने के कारण, उसकी वापसी का कोई विधिक परिणाम नहीं था –उच्च न्यायालय यह मानने में न्यायोचित नहीं था कि 90 दिनों की अवधि के भीतर, जो कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना अवधि है, कर्मचारी को त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात भी उसकी वापसी का अधिकार प्राप्त है – यह व्याख्या नियम 35 ए के प्रावधानों के प्रतिकूल है –उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है – एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका की निरस्तीकरण को पुष्टि प्रदान की जाती है –तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 – धारा 50।

उत्तरदाता, जिसकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी, नवम बटालियन, मणिमुथार, पालयमकोट्टै में श्रेणी-2 पुलिस आरक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसने दिनांक 1 जून 2017 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात, दिनांक 13 जुलाई 2017 को, उत्तरदाता ने अपने त्यागपत्र की वापसी हेतु एक पत्र प्रेषित करने का प्रयास किया। उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे अभ्यावेदन पर विचार करें तथा विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करें। पुलिस महानिदेशक द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसे उत्तरदाता द्वारा चुनौती दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को निरस्त कर दिया। खंडपीठ ने रिट अपील को स्वीकार करते हुए सेवा की निरंतरता सहित पुनर्नियुक्ति प्रदान की। अतः, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवाओं के विशेष नियमों के नियम 35 ए के प्रावधान, तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 50 के समतुल्य हैं। उत्तरदाता, एक पुलिस आरक्षक होने के नाते, नियम 35 ए द्वारा शासित थी। नियम 35 ए की उपधारा (क) यह अपेक्षित करती है कि त्यागपत्र देने से पूर्व, सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन माह से कम नहीं की सूचना प्रदान करेगा। उपधारा (ख) के अंतर्गत, उक्त सूचना को उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात, त्यागपत्र की वापसी की अनुमति नहीं है।उपधारा (ग) के अंतर्गत, नियुक्ति प्राधिकारी को त्यागपत्र की सूचना पर, सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से पूर्व आदेश पारित करना आवश्यक है। यदि त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, तो उसकी स्वीकृति की तिथि, सूचना अवधि की

समाप्ति की तिथि से बाद की नहीं होगी। यदि कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो सूचना अवधि की समाप्ति पर त्यागपत्र को स्वीकृत माना जाएगा। नियम 35ए की उपधाराओं (ख) और (ग) के प्रावधान यह पूर्णतः स्पष्ट करते हैं कि: (i) त्यागपत्र को उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया जा सकता है; तथा (ii) स्वीकार किए जाने के पश्चात, कर्मचारी त्यागपत्र वापस लेने के अधिकार से वंचित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, नियम 35ए की उपधारा (ग) से यह भी स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी, त्यागपत्र स्वीकार करते समय, वह तिथि निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है, जिस तिथि से वह प्रभावी होगा, और वह तिथि, सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से बाद की नहीं होगी। प्राधिकारी विधिपूर्वक सूचना अवधि की समाप्ति से पूर्व की किसी तिथि से भी त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के साथ ही, सेवा की समाप्ति घटित हो जाती है और उसके पश्चात कर्मचारी के लिए त्यागपत्र वापस लेना संभव नहीं रहता। वर्तमान मामले में, दिनांक 1 जून 2017 का त्यागपत्र, दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके लगभग एक माह पश्चात, दिनांक 13 जुलाई 2017 को, उत्तरदाता ने त्यागपत्र की वापसी का प्रयास किया। त्यागपत्र के स्वीकार होते ही वह प्रभावी हो चुका था, अतः उसकी वापसी का कोई परिणाम नहीं था। त्यागपत्र की स्वीकृति दिनांक 12 जून 2017 को पूर्ण हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में, विधि की दृष्टि में उसकी वापसी का कोई महत्व नहीं था। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित 90 दिनों की सूचना अवधि के भीतर, कर्मचारी को स्वीकृति के पश्चात भी त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार उपलब्ध था। यह व्याख्या स्पष्ट रूप से नियम 35ए के प्रावधानों के विपरीत है। अतः, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका के निरस्तीकरण को अनुमोदित किया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश, उत्तरदाता को भविष्य में, जब भी कोई चयन प्रक्रिया आयोजित की जाए, पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन करने से नहीं रोकेगा और ऐसा कोई भी आवेदन विधि के अनुसार विचाराधीन किया जा सकता है। [अनुच्छेद 7-12][211-ई; 212-बी-एच; 213-ए-सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की दीवानी अपील संख्या 9423

2018 के डब्ल्यू. ए.(एम. डी.) सं. 1596 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांकित 27.03.2019 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्तओं के लिए: एम. योगेश कन्ना, कार्तिक राजेंद्रन, सुश्री उमा प्रसुन बाचू, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: डॉ. पी. ज्योतिमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमित कुमार, हेमंत कुमार, भूपेंद्र कुमार, गुंजन कुमार, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील, मदुरै स्थित मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 27 मार्च 2019 को पारित निर्णय से उत्पन्न होती है। रिट अपील स्वीकार करते हुए, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया गया था, तथा राज्य को निर्देश दिया गया कि उत्तरदाता को सेवा में निरंतरता सहित पुनः बहाल किया जाए।

3. विवाद के निस्तारण हेतु जितने तथ्य प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:

उत्तरदाता, मणिमुथार, पलायमकोट्टई स्थित नवम बटालियन में श्रेणी II पुलिस आरक्षी के रूप में कार्यरत थी। उसकी नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। तूतीकोरिन स्थित महिला पुलिस थाना में कार्य करते समय, उत्तरदाता ने दिनांक 1 जून 2017 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया तथा अपने पद से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। उक्त त्यागपत्र दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 13 जुलाई 2017 को, उत्तरदाता ने त्यागपत्र वापस लेने संबंधी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात, उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका[1] दायर की, जिसका निस्तारण दिनांक 1 मार्च 2018 को इस निर्देश के साथ किया गया कि पुलिस महानिदेशक, अभ्यावेदन पर विचार करें तथा विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करें।

4. दिनांक 2 जून 2018 को, पुलिस महानिदेशक[2] ने अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया। ऐसा करते समय, पुलिस महानिदेशक ने तमिलनाडु पुलिस

12018 की रिट याचिका संख्या 3888

2"डीजीपी"

अधीनस्थ सेवाओं[3] के विशेष नियमों के नियम 35 ए के प्रावधानों पर अवलंबन किया। पुलिस महानिदेशक के उक्त आदेश को एक रिट याचिका[4] के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 21 अगस्त 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। तथापि, उत्तरदाता द्वारा दायर रिट अपील[5] स्वीकार कर ली गई। खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची कि तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016[6] की धारा 50 के अनुसार, 90 दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है। उच्च न्यायालय के मत में, यह 90 दिनों की अवधि केवल प्राधिकारी के हित के लिए ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हित के लिए भी है जिसने त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, ताकि वह पुनर्विचार कर सके कि त्यागपत्र वापस लिया जाना चाहिए या नहीं। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया कि उन्होंने सूचना अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप, निर्णय को अपास्त कर दिया गया तथा सेवा में निरंतरता सहित पुनः बहाली का आदेश पारित किया गया।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभ में यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 के अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों पर अवलंबन किया है, जबकि उत्तरदाता नियमावली के नियम 35 ए द्वारा शासित थी। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 50(2) के वे प्रावधान, जिन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत किया गया है, उनमें एक चूक विद्यमान है, जिसका उक्त प्रावधान की व्याख्या पर प्रभाव पड़ता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक बार त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, उत्तरदाता के लिए उसे वापस लेना विधिसम्मत रूप से संभव नहीं था।

6. इस प्रस्तुति का विरोध करते हुए, उत्तरदाता की ओर से यह तर्क दिया गया कि दिनांक 12 जून 2017 को त्यागपत्र की स्वीकृति विधि में वैध नहीं थी, क्योंकि वह सतर्कता तथा अन्य अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन थी। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने खंडपीठ की तर्क का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि 90 दिनों की सूचना अवधि की

3"डीजीपी"

42018 की रिट याचिका संख्या 1821

52018 की रिट अपील संख्या 1596

6"2016 का अधिनियम"

आवश्यकता को देखते हुए, कर्मचारी को सूचना अवधि की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार था तथा इस मध्य त्यागपत्र की स्वीकृति होने से उस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

7. नियमावली के नियम 35ए के प्रावधान वर्ष 2016 के अधिनियम की धारा 50 के समरूप हैं। उत्तरदाता, एक पुलिस आरक्षी के रूप में, नियम 35ए द्वारा शासित थी, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

> "35ए त्यागपत्र की स्वीकृति
>
> (क) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से लिखित रूप में कम से कम 3 माह की सूचना देकर, तथा उसकी प्रति अपने तात्कालिक उच्चाधिकारी को अंकित करते हुए, अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे सकता है। 3 माह की सूचना अवधि की गणना, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि से की जाएगी।
>
> (ख) सेवा का सदस्य, अपने त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व, त्यागपत्र संबंधी सूचना को वापस ले सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात, उसका प्रत्याहरण अनुमन्य नहीं होगा।
>
> (ग) नियुक्ति प्राधिकारी, सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से पूर्व, त्यागपत्र संबंधी सूचना पर आदेश पारित करेगा, जिसमें या तो त्यागपत्र को ऐसी तिथि से स्वीकार किया जाएगा, जो सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से बाद की न हो, अथवा उसे अस्वीकार किया जाएगा तथा उसके कारण दर्शाए जाएँगे। यदि कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो सूचना अवधि की समाप्ति पर त्यागपत्र को स्वीकृत माना जाएगा।"

8. नियम 35ए के खंड (क) के अनुसार, त्यागपत्र देने से पूर्व सेवा के किसी सदस्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम 3 माह की सूचना प्रदान करे। खंड (ख) के अंतर्गत, उक्त सूचना को उसकी स्वीकृति से पूर्व वापस लिया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात, त्यागपत्र का प्रत्याहरण अनुमन्य नहीं है। खंड (ग) के अंतर्गत, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से पूर्व त्यागपत्र संबंधी सूचना पर आदेश पारित करे। यदि त्यागपत्र स्वीकार किया जा रहा है, तो उसकी स्वीकृति की तिथि

सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से बाद की नहीं होगी। यदि कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो सूचना अवधि की समाप्ति पर त्यागपत्र को स्वीकृत माना जाएगा। नियम 35 ए के खंड (ख) तथा (ग) के प्रावधान यह पूर्णतः स्पष्ट करते हैं कि:

(i) त्यागपत्र को उसकी स्वीकृति से पूर्व वापस लिया जा सकता है; तथा

(ii) स्वीकृति के पश्चात, कर्मचारी त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार खो देता है।

इसके अतिरिक्त, नियम 35 ए के खंड (ग) से यह भी स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी, त्यागपत्र स्वीकार करते समय, वह तिथि निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है, जिस तिथि से वह प्रभावी होगा, जो सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से बाद की नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, प्राधिकारी विधिसम्मत रूप से सूचना अवधि की समाप्ति से पूर्व की किसी तिथि से भी त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। त्यागपत्र की स्वीकृति के साथ ही सेवा की समाप्ति हो जाती है तथा इसके पश्चात कर्मचारी के लिए त्यागपत्र वापस लेना अनुमन्य नहीं होता।

9. वर्तमान वाद में, जैसा कि वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है, दिनांक 1 जून 2017 का त्यागपत्र दिनांक 12 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके लगभग एक माह पश्चात, दिनांक 13 जुलाई 2017 को उत्तरदाता द्वारा त्यागपत्र वापस लेने का प्रयास किया गया। त्यागपत्र की स्वीकृति के साथ ही उसके प्रभावी हो जाने के कारण, उक्त प्रत्याहरण का कोई विधिक परिणाम नहीं था। हम इस प्रस्तुति में कोई बल नहीं पाते कि त्यागपत्र की स्वीकृति अवैध थी। पारित आदेश स्पष्ट रूप से त्यागपत्र की स्वीकृति को दर्शाता है। यद्यपि, उक्त आदेश में यह उपबंध किया गया था कि यदि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है अथवा विशेष शाखा आपराधिक अन्वेषण विभाग द्वारा कोई प्रतिकूल अभिलेखन किया जाता है, तो त्यागपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, वास्तविक स्थिति यह है कि दिनांक 12 जून 2017 को त्यागपत्र की स्वीकृति पूर्ण हो चुकी थी। एक बार यह स्थिति स्थापित हो जाने पर, त्यागपत्र का प्रत्याहरण विधि में किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता।

10. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायोचित नहीं था कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित 90 दिनों की सूचना अवधि के भीतर, स्वीकृति के पश्चात भी कर्मचारी को त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार प्राप्त था। यह व्याख्या स्पष्ट रूप से नियम 35 ए के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

11. तदनुसार, हम अपील स्वीकार करते हैं तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च 2019 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अपास्त करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित रिट याचिका के खारिज किए जाने के आदेश की पुष्टि करते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

12. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश उत्तरदाता को भविष्य में, जब भी कोई चयन प्रक्रिया आयोजित की जाए, नवीन नियुक्ति हेतु आवेदन करने से वंचित नहीं करेगा तथा ऐसा कोई भी आवेदन विधि के अनुसार विचाराधीन किया जा सकता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।